रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1977/आषाढ़ 15, 1899

No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1977/ASADHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th July 1977

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1977—March 1978 (Amendment/Errata)*

No. 43-ITC(PN)/77—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book—Volume I) for the period April 1977—March 1978 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/77 dated the 27th April, 1977.

2. The following corrections/amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the Policy Book (Vol. II)	Reference	Correction/Amendment
(1)	(2)	(3)
10.	*Section I, Part B, Para* 31	The following may be added to the existing sub-para 31(2)(a):— "However, if the actual user licence/Release Order includes any items which are permissible to actual users on a restricted basis as laid down in Appendix 55 in Volume I of the Policy Book, the import of such items should not exceed 20% of the value of the REP licence and within this limit, the import of a single item should not exceed Rs. 2 lakhs in value within the value of the licence."
20.	*Section I, Part B, Para* 63	After the existing sub-para 63(2), the following sub-paras may be added — "(3) The facility for import of samples provided in sub-para (1)(a) and (b) above may also be given to Export Houses by specific endorsement on the licences issued against exports of products mentioned therein, subject to the condition that import of items mentioned in sub-para 63(1)(d) will not be allowed." "(4) The facility for import of samples upto Rs. 1000 in value subject to the condition that import of each type of sample should not exceed two in number, may also be given to merchant exporters by specific endorsement on REP licences issued to them against exports of "Leather Manufactures", "Sports Goods" and "Handicrafts". Import of items mentioned in sub-para 63(1)(d), will however, not be allowed.

3. In terms of the provision contained in paras 30(1) and 31(1), Part 'B', Section I of the Policy Book (Volume II) for 1977-78, REP licences issued to manufacturer-exporters and nominee manufacturers of the product exported will be valid for import any raw materials, components, consumable stores, packing materials, required for use in the licence holder's factory, subject to the restrictions laid down in the policy. Also, the REP licence is subject to "actual user" condition. In this connection, it is clarified that the "A.U. condition" of use in the licence-holder's factory will be satisfied if the manufacturer-exporter utilises the imported materials in the factory from which the exported products emanated, and if the nominee-manufacturer of the product exported utilises the imported raw materials in the factory in which the manufacture of the goods exported or the goods falling in the same Serial or sub-serial number, as the case may be, in Section II of the Policy Book (Volume II) for 1977-78 is carried on. In the case of nominee manufacturers of any other products, the "A.U. condition" will be satisfied if the imported raw materials are utilised in the factory in which the manufacture of the end product as a manufacturer of which he has been nominated, is undertaken.

4. It is also clarified that manufacturer exporters having more than one factory and engaged in the manufacture of multi-products can make nominations in favour of their factory other than the factory which manufactured the product exported. The REP licences issued in such cases will be valid for import of raw materials,

components, consumable stores, packing materials etc. covered by the actual user licence/release order issued to the nominee factory since 1-4-1976, subject to restrictions laid down in Para 31(2), Part 'B', Section I of the Policy Book (Volume II) for 1977-78.

5. It is further clarified that for the purpose of grant of Export House Certificate and other benefits under the Import Policy for Registered Exporters, all cottage industry units will be treated as small scale industry units.

6. It is also clarified that the entry "Non-ferrous Metals (other than aluminium) and scraps thereof" against S No. 51 of Annexure II to Part 'B' on page 32 of the Import Trade Control Policy, Vol. II includes non-ferrous alloy scraps also.

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1977

विषय:—अप्रैल, 1977—मार्च 1978 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन/शुद्धि-पत्र)।

सं० 43 आई टी सी (पी एन)/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21—आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत अप्रैल 1977—मार्च 1978 अवधि के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (नीति पुस्तक वा० II) में यथा उल्लिखित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नीचे निर्दिष्ट उचित स्थानों पर निम्नलिखित शुद्धियां/संशोधन किए जाएं :—

नीति पुस्तक (वा० II) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	शुद्धिया/संशोधन
(1)	(2)	(3)
10.	खंड I, भाग ख, पैरा 31	विद्यमान उप-पैरा 31(2)(क) मे निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "लेकिन यदि वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस/रिहाई आदेश में कोई ऐसी मदें शामिल है जिनकी वास्तविक उपयोक्ताओं की नीति पुस्तक के वा० I के परिशिष्ट 55 मे यथा निर्धारित प्रतिबन्धित आधार पर अनुमति है तो ऐसी मदों के आयात आर ई पी लाइसेंस के मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक मूल्य के नही होने चाहिएं और इस सीमा के अन्तर्गत केवल एक मद का आयात, लाइसेंस के मूल्य के भीतर 2 लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।"

1	2	3
20.	खंड I, भाग ख, पैरा 63	विद्यमान उप-पैरा 63(2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरे जोडे जाएं :— "(3) ऊपर उप-पैरा (1)(क) और (ख) मे नमूनो के आयात के लिए दी गई सुविधा लाइसेंसों मे उल्लिखित उत्पादो के निर्यातों के आधार पर जारी किए गए लाइसेंसों पर विशेष पृष्ठांकन करके निर्यात गृहो को भी दी जा सकती है, परन्तु शर्त यह होगी कि उप-पैरा 63 (1) (घ) में उल्लिखित मदों के आयात की अनुमति नही दी जाएगी । (4) 1000/– रुपये के मूल्य तक के नमूनो के आयात के लिए यह सुविधा व्यापारी निर्यातकों को भी "चमड़े से विनिर्मित वस्तुओं" "खेलकूद के सामान" और "हस्तशिल्प की वस्तुओं" के निर्यात के आधार पर जारी किए गए आर ई पी लाइसेंसों पर विशेष पृष्ठांकन करके इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि प्रत्येक किस्म के नमूने का आयात संख्या में दो से अधिक नही होगा । लेकिन उप-पैरा 63(1) (घ) में उल्लिखित मदो के आयात की अनुमति नही दी जाएगी ।"

3. 1977-78 की आयात नीति (वा० II) के खंड I, भाग 'ख', पैरा 30 (1) और 31(1) में उल्लिखित उपबन्ध के अनुसार निर्यातित उत्पाद के विनिर्माता-निर्यातकों और नामित विनिर्माताओ को जारी किए गए आर ई पी लाइसेंस, लाइसेंसधारी के कारखाने में उपयोग के लिए अपेक्षित किसी भी कच्चे माल, सघटको, उपभोज्य सामान्य, सवेंटन के सामान के आयात के लिए नीति मे निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन वैध होंगे । आर ई पी लाइसेंस "वास्तविक उपयोक्ता" की शर्त के भी अधीन है । इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइसेंसधारी के कारखाने में उपयोग करने को "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त तब पूर्ण समझी जाएगी जबकि विनिर्माता-निर्यातक आयात किए गए माल का उसी कारखाने में उपयोग करता हो जिसमें निर्यात किया गया माल का उत्पादन हुआ हो और जबकि निर्यात किए गए उत्पाद का नामित-विनिर्माता आयातित कच्चे माल का उसी कारखाने मे उपयोग करता हो जिसमें निर्यातित माल का या 1977-78 की नीति पुस्तक (वा० II) के खंड II मे उसी क्रम संख्या या उप-क्रम संख्या, जो भी हों, में आने वाले माल का विनिर्माण किया गया हो । किन्हीं अन्य उत्पादो के नामित विनिर्माताओं के मामले मे "वास्तविक उपयोक्ता शर्त" तब पूर्ण समझी जाएगी जबकि आयातित कच्चे माल का उपयोग उसी कारखाने में किया जाता हो जिसमे उसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण का कार्य किया गया हो जिसके लिए वह विनिर्माता के रूप में नामित किया गया है ।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक से अधिक कारखाने रखने वाले और बहु-उत्पादों के निर्माण में लगे हुए विनिर्माता-निर्यातक उस कारखाने से भिन्न अपने निजी कारखाने के नाम में नामाकन कर सकते है जिसमे निर्यातित उत्पाद का निर्माण किया गया था । ऐसे मामलों में जारी किए गए आर ई पी लाइसेंस, 1-4-1976 से नामित कारखाने

को जारी किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस/रिहाई आदेश में शामिल कच्चे माल, सघटकों, उपभोज्य सामान, सवेष्टन सामग्री आदि के आयात के लिए वैध होंगे परन्तु वे 1977-78 की नीति पुस्तक (वा० II) के खंड 1, भाग 'ख', पैरा 31(2) में निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन होंगे ।

5. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन निर्यात गृह प्रमाण पत्र और अन्य लाभों की मंजूरी के उद्देश्य के लिए सभी कुटीर उद्योग एकक, लघु पैमाना उद्योग एककों के रूप में समक्षे जायेंगे ।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० II) के पृष्ठ 32 पर भाग 'ख' के अनुबन्ध II की क्रम सख्या 51 के सामने प्रविष्टि "अलोह धातुए (एल्युमिनियम से भिन्न) और उन की कतरन" में अलौह मिश्रधातु कतरन भी शामिल है ।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977